

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या: 29/2017

1. रूकमा पत्नी स्व. कंसूराम जाति जाट निवासी 10 एसपीडी (सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ
2. मुखराम पुत्र स्व. कंसूराम जाति जाट निवासी 10 एसपीडी (सरदारपुरा बर्गी) तहसील सूरतगढ
3. रजीराम पुत्र स्व. कंसूराम जाति जाट निवासी 10 एसपीडी (सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ
4. विमला पुत्री स्व. कंसूराम जाति जाट निवासी 10 एसपीडी (सरदारपुरा खर्था) तहसील सूरतगढ

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान नू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक: 24-7-19

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 06.10.2016 प्र.स. 10/2016 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार ह कि अपीलांत के पति/पिता को घग्घर फलड कन्ट्रोल के नाम की रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 164/2 में 10.09 बीघा रकबा आराजी काश्त पर आँवटन हुई थी। अपीलांत के पति/पिता को इस खसरा में 10.00 बीघा रकबा इससे पूर्व भी सन 1980-81 से टी.सी. आवंटन होकर यह रकबा भी अपीलांत के पति/पिता के नाम से दर्ज रिकार्ड होकर अपीलांत के कब्जा काश्त में चला आ रहा है, व अपीलांत के पति/पिता के फौत हो जाने के पश्चात उनके वारिस होने से यह रकबा अपीलांत के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इसप्रकार इस खसरा में अपीलांत के पास कुल 20.09 बीघा टी.सी. आवंटन है व राजस्व रिकार्ड में अपीलांत के नाम केवल 10.00 बीघा रकबा टी.सी. दर्ज रिकार्ड है, शेष 10.09 बीघा रकबा राजस्व कर्मियों ने रिकार्ड में अपीलांत के नाम दर्ज नहीं किया। संवत् 2073 की फसल सावणी में अपीलांत की टी.सी आवंटन कुल 20.09 बीघा रकबा में से केवल 14.00 बीघा रकबा ही काश्त थे परन्तु मातहत न्यायालय के राजस्व कार्मिक पटवारी ने अपीलांत के 10.00 बीघा रकबा को टी.सी मानकर शेष 4.00 बीघा रकबा के लिये अतिक्रमी मानकर नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दी व उसी आधार मातहत न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश में अपीलांत को 4.00 बीघा रकबा के लिये अतिक्रमी घोषित करते हुए 50 गुणा पेनल्टी राशि 506 रुपये तावान कायम करते हुए फसल को कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल नीलाम कर पटवारी हल्का को पैनल्टी राशि वसूल करने व अपीलांत को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने का निर्णय दिया है। जो कि विधि विरुद्ध है एवं काबिल निरस्ती है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 29/17 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेंट का जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा पेश हुए एवं रेस्पोंडेंट की ओर राज पैरोकार उपस्थित आए।
5. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांत ने निवेदन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपीलांत को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये अपीलांत की पीठ पीछे निर्णय दिनांक 06.10.2016 जारी कर दिया जिसमें अपीलांत को चार-चार सजाएं एक साथ दे दी गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही जैर अपील रकबा जो राजस्व रिकार्ड में जी.एफ.सी के नाम से है व अपीलांत का टी.सी. आवंटन किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है, आज भी आवंटन बहाल है। राजस्व कर्मियों ने अपीलांत के सन 1987 के 10.09 बीघा टी.सी. आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया, इसी का नुकसान अपीलांत को पहुंचा दिया


अतिरिक्त जिला कलक्टर

गया। जवाब में राज पैरोकार ने बताया जवाब में राज पैरोकार ने कहा कि अप्रार्थी अतिक्रमी है एवं उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने कारण तावान कायम किया गया है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये किये टी.सी. आवंटन के पट्टे की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट को उक्त रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 164/2 में 10.09 बीघा रकबा आराजी काश्त पर आवंटन हुई थी व अपीलांट के बहस के दौरान किये गये कथन अनुसार उक्त टी.सी. आज भी कायम है व खारिज नहीं हुई है। दौरान बहस तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्य के विरुद्ध में कोई कथन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलांट द्वारा टी.सी. आवंटित भूमि पर ही काश्त की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण टी.सी. आवंटन भूमि पर काश्त करने का है जिस पर धारा 22 की कार्यवाही की गई है जो विधि विपरीत है अतः प्रकरण में पुनः तथ्यों को जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


अतिरिक्त जिलाधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़